covid 19 st

प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट
मेरठ।

प्रेष्य,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मेरठ।

संख्या– 1185 /एसटी–नगर/कोविड–19, दिनांक– 20 जून, 2020

Sub. Regarding Machanism/modalities for opening of Courts subordinate to High Court of judicature at Allahabad.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 जिला न्यायाधीश, मेरठ महोदय के पत्र संख्या–1221/**प्रथम**, दिनांकित 06.06.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त अपने पत्र दिनांकित 22.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में उप जिलाधिकारी, मवाना एंव उप जिलाधिकारी, सरधना जनपद मेरठ से आख्या प्राप्त की गयी।

1– उप जिलाधिकारी, मवाना द्वारा अपने पत्र संख्या–164/र0का0, दिनांकित 20.06.2020 के द्वारा अवगत कराया गया है कि न्यायालय सिविल जज (जू0डि) मवाना कन्टेनमेन्ट जोन के अर्न्तगत नही आता है।

2– उप जिलाधिकारी, सरधना द्वारा अपने पत्र संख्या–822/एसटीएस/22, दिनांकित 20.06.2020 के द्वारा अवगत कराया गया है कि कस्बा सरधना में वर्तमान में पांच मौहल्ले कन्टेनमेन्ट के अर्न्तगत है। मौ0 लाल कुंआ (फूटा चाहा), मौ0 कुम्हारान, मौ0 तारनी स्ट्रीट, मौ0 आदर्शनर, मौ0 इस्लामाबाद कस्बा सरधना से सिविल जज (जू0डि0) सरधना 250 मीटर कन्टेनमेन्ट जोन के अर्न्तगत नही आता है।

उप जिलाधिकारी मवाना एंव सरधना की आख्या की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। कृपया तद्नुसार आख्या सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजय कुमार तिवारी)
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)
मेरठ।

प्रतिलिपि–

1– मा0 जिला न्यायाधीश, मेरठ महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2– जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)
मेरठ।

कार्यालय उपजिलाधिकारी मवाना

दिंनाक 20.06.2020

पत्रांक 164 /र0का0

विषयः— Regarding Mechanism/Modalities for opening of court subordinate to High court of Judicature at Allahabad .

अपर जिलाधिकारी (नगर)
मेरठ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव जिला न्यायधीश के पत्र संख्या 1344/प्रथम दिंनाक 19.06.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) मवाना कन्टोनमेन्ट जोन में होने अथवा न होने के सम्बंध में आख्या प्रेषित किये जाने के सम्बंध में निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्त के सम्बंध में सादर अवगत कराना है कि न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) मवाना कन्टोनमेन्ट जोन के अन्तर्गत नहीं आता है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

उपजिलाधिकारी
मवाना।

Scanned with CamScanner

कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट, सरधना मेरठ।

पत्रांक संख्या 822 /एस०डी०एम०/2020 दिनांक 20-06-2020

विषय – अधीनस्थ न्यायालयों में कोरोना(कोविड–19) महामारी से बचाव एवं उपचारात्मक उपायों के सम्बन्ध में।

अपर जिला मजिस्ट्रेट(नगर),
मेरठ।

महोदय,

कृपया अपने आदेश दिनांक 19–06–2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा तारतम्य बाह्य स्थित न्यायालय सिविल जज(जू०डि०) सरधना के सम्बन्ध में कोर्ट एरिया के कन्टेनमेन्ट जोन के सम्बन्ध में जांच आख्या चाही गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि कस्बा सरधना में वर्तमान में पांच मौहल्ले कन्टेनमेन्ट के अन्तर्गत है। मौ० लाल कुआ(फूटा चाहा), मौ० कुम्हारान, मौ० चर्ची स्ट्रीट, मौ० आदर्शनगर, मौ० इस्लामाबाद कस्बा सरधना से सिविल जज(जू०डि०) सरधना 250 मीटर कन्टेनमेन्ट जोन के अन्तर्गत नहीं आता है।

आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

उप जिला मजिस्ट्रेट,
सरधना।